

कोल इण्डिया लिमिटेड  
 (भारत सरकार का उपक्रम)  
**COAL INDIA LIMITED**  
 (A Govt. of India Enterprise)  
**कोल भवन "COAL BHAWAN"**  
 Premise No. 04, MAR, Plot No. AF-III  
 Action Area-1A, Newtown, Rajarhat  
 KOLKATA-700156 (WB)



**PERSONNEL DIVISION POLICY**  
 CELL  
 CIN: L23109WB1973GOI028844  
 E-Mail: policycell.cil@coalindia.in  
 Tel: 033-7110 4271  
 Website: www.coalindia.in

(An ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 50001:2011 Certified Company)

संदर्भ सं: CIL/C5A (PC)/Spectacles reimbursement/1165-A

दिनांक: 06.03.2024

### कार्यालय ज्ञापन

विषय: Spectacles Reimbursement under Medical Attendance Rules.

The Competent Authority of CIL in its 461<sup>st</sup> CIL Board Meeting held on 31.01.2024 under Item No. 461.4 (C) has approved amendment in clause 3.3 (a) of chapter –III i.e treatment of MAR to include reimbursement of Spectacles under Medical Attendance Rules

Details of the amendment are given below:

#### a) Amendment in Clause 3.3(a) of Chapter-III of MAR:-

Chapter and Clause of HR Manual	Existing Provision	Amendment
3.3 (a) of chapter –III i.e treatment of MAR	<b>Eye treatment:</b> Treatment of all types of eye diseases, testing of eyes for correction of errors of refraction once in three years for entitled employees and their eligible family members and provision of eye prosthesis will be allowed, but cost of spectacles is inadmissible	<b>Eye treatment:</b> Treatment of all types of eye diseases, testing of eyes for correction of errors of refraction for entitled employees and their eligible family members and provision of eye prosthesis will be allowed. Cost of spectacles based on modalities issued mentioned in notes below in a block of two years.

#### b) Grade-wise Ceiling for reimbursement

GRADE	Ceiling (in Rs.)
Board level	50,000
E8 & E9	45,000
E6-E7	35,000
E4-E5	30,000
E1-E3	20,000
NON-EXE	10,000


जैल

**c) Terms & Conditions:-**

- i. The reimbursement ceiling is a combined amount applicable for employees and their dependents.
- ii. The ceiling shall be applicable for a two-year block starting from 01.04.2024. Reimbursement, within the ceiling, can be claimed either in a single bill or as and when prescribed.
- iii. Date of purchase shall be reckoned for all purposes of entitlement.
- iv. The employee shall be required to submit a prescription advising eye vision correction by an Ophthalmologists (in original or attested photocopy) not older than 6 months preceding the date of purchase of spectacles, along with relevant original receipts/ bills of expenditure incurred on spectacles.
- v. The aforementioned ceiling is towards reimbursement of Spectacles meant for vision correction only. No reimbursement shall be made for any kind of eye protection glasses/anti-glare glasses/goggles etc.
- vi. Notwithstanding (v) above, reimbursement is allowed for dark goggles to the visually challenged, as prescribed.
- vii. Newly recruited employees will be entitled only after issuance of orders of closure/confirmation of training/probation period.
- viii. The process to reimbursement will be through the SAP module.
- ix. Medical expenses incurred on consultation of Ophthalmologists, eye testing, eye medicine etc shall continue to be reimbursed separately as per extant medical rules and shall not form part of ceiling under this scheme.
- x. In resignation cases, the employee is not entitled to claim reimbursement of cost of Spectacles after the submission of the resignation (during the notice period)



- xi. Any unutilized amount from the ceiling amount shall stand lapsed at the end of the two block years block period. The reimbursement shall be settled for the financial year in which the purchase has been made i.e date of receipt of purchase of Spectacles. Purchase can be more than one time for same employee in one financial year but reimbursement will be limited to the ceiling amount. i.e any amount beyond the ceiling amount will have to be borne by the member himself/herself.



०६.०३.२०२४

(राजेश वी. नायर)

उप मप्र./विभाग्यध्यक्ष (का./नीति)

**ई-मेल के माध्यम से वितरण:**

1. D(T)/ D(M)/ D (P&IR)/ D(F), CIL
2. CMD, BCCL/ CCL/ CMPDIL/ ECL/ MCL/ NCL/ SECL/ WCL
3. CVO, CIL
4. D(P)/D(F), BCCL/ CCL/ CMPDIL/ ECL/ MCL/ NCL/ SECL/ WCL
5. D(T/CRD), CMPDIL
6. CVO, BCCL/ CCL/ CMPDIL/ ECL/ MCL/ NCL/ SECL/ WCL
7. ED(Co-ord.)/TS to Chairman, CIL
8. ED, ICT/FIN.
9. GM(ERP), CIL
10. GM/HOD, NEC /CIL New Delhi Office
11. Ts to D(P&IR)/D(T), CIL
12. HoD (P/EE), CIL
13. Mgr.(P/PC), CIL – for updation of HR Manual

कोल इण्डिया लिमिटेड  
 (भारत सरकार का उपक्रम)  
**COAL INDIA LIMITED**  
 (A Govt. of India Enterprise)  
 कोल भवन "COAL BHAWAN"  
 Premise No. 04, MAR, Plot No. AF-III  
 Action Area-1A, Newtown, Rajarhat  
 KOLKATA-700156 (WB)



एक महारत कंपनी  
 A Maharatna Company

**PERSONNEL DIVISION POLICY**  
 CELL  
 CIN: L23109WB1973GOI028844  
 E-Mail: policycell.cil@coalindia.in  
 Tel: 033-7110 4271  
 Website: www.coalindia.in

(An ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 50001:2011 Certified Company)

संदर्भ सं: CIL/C5A (PC)/Spectacles reimbursement/1165-A

दिनांक: 06.03.2024

### कार्यालय ज्ञापन

विषय: चिकित्सा उपस्थिति नियमों के तहत चश्मा प्रतिपूर्ति।

सीआईएल के सक्षम प्राधिकारी ने मद संख्या 461.4 (सी) के तहत 31.01.2024 को आयोजित अपनी 461वीं सीआईएल बोर्ड बैठक में चिकित्सा उपस्थिति नियमों के तहत चश्मे की प्रतिपूर्ति को शामिल करने के लिए एमएआर के अध्याय-III। यानी उपचार के खंड 3.3 (ए) में संशोधन की मंजूरी दी गई है।

अ) MAR के अध्याय-III के खंड 3.3 (ए) में संशोधन: -

मानव संसाधन मैनुअल का अध्याय और खंड	मौजूदा प्रावधान	संशोधन
अध्याय -III के 3.3 (क) अर्थात् एमएआर का उपचार	नेत्र उपचार: सभी प्रकार के नेत्र रोगों का उपचार, पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों और उनके पात्र परिवार के सदस्यों के लिए तीन साल में एक बार अपवर्तन की त्रुटियों के सुधार के लिए आंखों का परीक्षण और नेत्र कृत्रिम अंग के प्रावधान की अनुमति होगी, लेकिन चश्मे की जागत अस्वीकार्य है	नेत्र उपचार: सभी प्रकार के नेत्र रोगों का उपचार, पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों और उनके पात्र परिवार के सदस्यों के लिए अपवर्तन की त्रुटियों के सुधार के लिए आंखों का परीक्षण और नेत्र कृत्रिम अंग के प्रावधान की अनुमति होगी। दो साल के ब्लॉक में नीचे उल्लिखित तौर-तरीकों के आधार पर चश्मे की जागत रहेगा।

ब ) प्रतिपूर्ति के लिए ग्रेड-वाइज़ अधिकतम सीमा

श्रेणीकरण	अधिकतम सीमा (रु. में)
बोर्ड स्तर	50,000
अधिकारी E8 & E9	45,000
अधिकारी E6-E7	35,000
अधिकारी E4-E5	30,000
अधिकारी E1-E3	20,000
कर्मचारी	10,000


नाम  
 06.03.2024

### **स )नियम और शर्तेः-**

- I. प्रतिपूर्ति सीमा, अधिकारियों /कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए लागू एक संयुक्त राशि है।
- II. यह सीमा 01.04.2024 से शुरू होने वाले दो साल के ब्लॉक के लिए लागू होगी। अधिकतम सीमा के भीतर प्रतिपूर्ति का दावा या तो एक ही बिल में अथवा जब कभी prescribed हो, किया जा सकता है।
- III. खरीदी की तारीख पात्रता के सभी उद्देश्यों के लिए गिना जाएगा।
- IV. अधिकारी/कर्मचारी को नेत्र रोग विशेषज्ञों का दृष्टि में सुधार हेतु चश्मे लगाने की सलाह का एक prescription (मूल या सत्यापित फोटोकॉपी में) प्रस्तुत करना होगा, जो की चश्मा खरीदने की तारीख से 6 महीने से पुराना ना हो। साथ ही चश्मे पर किए गए व्यय के बिलों के साथ आंखों की दृष्टि में सुधार की सलाह दी गई हो।
- V. उपर्युक्त सीमा केवल दृष्टि सुधार के लिए चश्मे की प्रतिपूर्ति के लिए है। किसी भी प्रकार के नेत्र सुरक्षा चश्मे/एंटी-ग्लेयर ग्लास/गॉगल्स आदि के लिए कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।
- VI. उपर्युक्त (v) के बावजूद, नेत्रहीनों को काले चश्मे के लिए प्रतिपूर्ति की अनुमति है, जैसा कि निर्धारित किया गया है।
- VII. नए भर्ती किए गए अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण समाप्त होने /प्रशिक्षण की पुष्टि/परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के आदेश जारी करने के बाद ही पात्र होंगे।
- VIII. प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया एसएपी मॉड्यूल के माध्यम से होगी।
- IX. नेत्र रोग विशेषज्ञों के परामर्श, नेत्र परीक्षण, नेत्र चिकित्सा आदि पर किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति मौजूदा चिकित्सा नियमों के अनुसार अलग से की जाएगी और इस योजना के तहत सीमा का हिस्सा नहीं होगा।
- X. इस्तीफे के मामलों में, अधिकारी/कर्मचारी इस्तीफा जमा करने के बाद चश्मे की लागत की प्रतिपूर्ति का दावा करने का हकदार नहीं है (अर्थात् नोटिस अवधि के दौरान हकदार नहीं है )

*लाप्त*  
06.03.2024

XI. अधिकतम राशि मे दो साल के ब्लॉक अवधि के अंत मे जो भी राशि शेष रहेगी, वह इस अवधि के अंत मे लैप्स (lapse) मानी जाएगी। प्रतिपूर्ति उस वितीय वर्ष के लिए तय की जाएगी जिसमें खरीद की गई है यानी चश्मे की खरीद की प्राप्ति की तारीख। एक वित वर्ष मे एक अधिकारी/कर्मचारी, एक से अधिक बार भी चश्मा खरीद सकता है बशर्ते कि वह प्रतिपूर्ति सीमा राशि के अंदर हो। अर्थात् अधिकतम सीमा से अधिक की राशि का वहन सदस्य को स्वयं करना होगा।



06.03.2024

(राजेश वी. नायर)

उप मप्र./विभाग्यद्यक्ष (का./नीति)

#### वितरण सूची:

- i. डी(पी) एंड आईआर)/ डी(टी)/ डी (बीडी)/ डी(एम)/डी(एफ), सीआईएल
- ii. सीएमडी, बीसीसीएल/सीसीएल/सीएमपीडीआईएल/ईसीएल/एमसीएल/एनसीएल/एसईसीएल/डब्ल्यूसीएल
- iii. सीवीओ, सीआईएल
- iv. डी(पी), बीसीसीएल/सीसीएल/ईसीएल/एमसीएल/एनसीएल/एसईसीएल/डब्ल्यूसीएल
- v. डी(टी), बीसीसीएल/सीसीएल/ईसीएल/एमसीएल/एनसीएल/एसईसीएल/डब्ल्यूसीएल
- vi. डी(टी/सीआरडी), सीएमपीडीआईएल
- vii. ईडी (समन्वय), सीआईएल
- viii. कंपनी सचिव, सीआईएल/बीसीसीएल/सीसीएल/सीएमपीडीआईएल/ईसीएल/एमसीएल/एनसीएल/एसईसीएल/ डब्ल्यूसीएल
- ix. जीएम, एनईसी
- x. जीएम/एचओडी (कार्मिक) सीआईएल/बीसीसीएल/सीसीएल/सीएमपीडीआईएल/ईसीएल/एमसीएल/एनसीएल/ एसईसीएल/डब्ल्यूसीएल